

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 28/8/2017

विषय— समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय—विद्यापतिनगर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपके पत्रांक FC-806, दिनांक 16.08.2017,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची के पत्र संख्या—FP/BR/Others/25453/2017/1415, दिनांक 11.08.2017 के द्वारा कुल 15 (पन्द्रह) शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में मेरे द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. NPV मद में मेरे द्वारा 0.0045 हे. अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे. की दर से कुल रु० 2,817/- (दो हजार आठ सो सतरह रुपये) मात्र बिहार राज्य के लिये निर्धारित CAMPA, A/c No. 15062199254532017558, कॉरपोरेशन बैंक, Bangalore में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.08.2017 को E-Challan के माध्यम से राशि जमा करा दी गयी है, जिसका UTR No. P17082460278427 है।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो उसका भुगतान करेंगे।
4. हरितावरण को बनाये रखने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 780, दिनांक 21.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर मेरे द्वारा कुल रु० 2,34,113/- (दो लाख चौतीस हजार एक सौ तेरह रुपये) मात्र बिहार राज्य के लिये निर्धारित CAMPA, A/c No. 15062199254532017558, कॉरपोरेशन बैंक, Bangalore में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.08.2017 को E-Challan के माध्यम से राशि जमा करा दी गयी है, जिसका UTR No. P17082460278427 है।

5. मेरे द्वारा NPV एवं CA मद की कुल राशि रु० 2,36,930 /- (दो लाख छत्तीस हजार नो सौ तीस रुपये) को कॉरपोरेशन बैंक, Bangalore में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.08.2017 को E-Challan के माध्यम से जमा करा दी गयी है। बैंक द्वारा निर्गत E-Challan द्वारा जमा की गयी राशि की मूल प्रति साक्ष स्वरूप संलग्न है।
6. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
7. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
8. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
- a) मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
- b) मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
- c) मेरे द्वारा रिटेल आउटेल पम्प के भीतर 1.0 से 1.5 मी. वृक्षरोपण किया जायेगा।
- d) मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
9. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
10. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
11. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
12. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
13. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
14. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगा।
15. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वन अच्छादन, वृक्ष संरक्षण एवं वन प्रावधान के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का पुरी तरह से अनुपालन करूंगा।

अतः अनुरोध है कि विषयाधीन परियोजना पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

राकेश कुमार पासवान

(राकेश कुमार पासवान)

पिता—श्री रामप्रीत पासवान,

ग्राम—केवटा थाना—दलसिंहसराय,

जिला—समस्तीपुर, पिन—848 114